मैसर्स व्याहारे एंड संस एंड अन्य

बनाम

मधुकर रघुनाथ भावे

7 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 100-द्वितीय अपील-उच्च न्यायालय द्वारा कानून-न्याय के पर्याप्त प्रश्न को विराचित किए बिना निपटानःउच्च न्यायालय को कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न विराचित करना है और विराचना किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई करनी है-इसके अभाव में, निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय धारा 100 सी. पी. सी. द्वारा अनिवार्य कानून के सारवान प्रश्न को विराचना किए बिना दूसरी अपील का निपटारा करना में उचित था।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विराचित किया

गया है या दूसरी अपील की सुनवाई इस प्रकार विरचना किए गए प्रश्न, यदि कोई हो, पर की गई थी और इस तरह के निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।[पैरा 6]

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, [2000] 1 एस. सी. सी. 434; रूप सिंह बनाम राम सिंह, [2000] 3 एस. सी. सी. 708; कनहैयालाल और अन्य। वी., जे. टी. (2002) 10 एस. सी. 98; मथकला कृष्णैया बनाम वी. राजगोपाल, [2004] 10 एस. सी. सी. 676; एफ. श्रीमती। राम सखी देवी बनाम छात्र देवी और अन्य, जे. टी. (2005) 6 एससी 167; ससिकुमार और अन्य। वी.कुन्नथ चेलप्पन नायर और अन्य, [2005] 12 एससीसी 588; ज्ञान दास बनाम ग्राम पंचायत ग्राम सुन्नर कलान और अन्य, [2006] 6 एस. सी. सी. 271 और शाह मनसुखलाल छगनियाल (डी) एल. आर. एस. बनाम।गोहिल अमरसिंह गोविंदभाई (डी) से एल. आर. एस., (2006) 13 स्केल 99, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील सं. 1187

(बॉम्बे नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.8.2004 के निर्णय और आदेश से एस. ए. सं. 43/1991 में।)

अपीलार्थियों की ओर से अनिरुद्ध पी. मयी और संजीव कुमार चौधरी। उत्तरदाता के लिए ए. एस. वी. देशपांडे।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□

2. इस अपील में चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') की धारा 100 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील को अनुमति देता है।

संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः

3. प्रतिवादी-वादी ने अपीलार्थी प्रतिवादियों के खिलाफ सिविल जज, सीनियर डिवीजन, बुलढाना के न्यायालय में 1986 की सं. 2 वाला एक विशेष दीवानी मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने 19.9.1987 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा मुकदमे को आंशिक रूप से फैसला सुनाया। निचली अदालत के फैसले और डिक्री से व्यथित, अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बुलढाना की अदालत में अपील की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 28-9-1990 के निर्णय और आदेश द्वारा अपील की अनुमति दी और विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को रद्द कर दिया। प्रतिवादी-वादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के समक्ष दूसरी अपील को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया।

4. यद्यपि अपील के समर्थन में कई बिंदुओं का आग्रह किया गया है, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का प्राथमिक रुख यह है कि दूसरी

अपील को धारा 100 सी. पी. सी. द्वारा अनिवार्य कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को विराचित किए बिना अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि उच्च न्यायालय के फैसले से यह नहीं पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विराचित किया गया था, फिर भी विद्वान एकल न्यायाधीश ने दूसरी अपील को स्वीकार करते समय कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया था।

5. सी. पी. सी. की धारा 100 "दूसरी अपील" से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार हैः

> "धारा 100-द्वितीय अपीलः
>
> (1) इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
>
> (2) इस धारा के तहत एकतरफा पारित अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।

(3) इस धारा के तहत एक अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न की विरचना करेगा।

(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात, न्यायालय द्वारा प्रणीत नहीं किए गए विधि के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।"

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है या इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न, यदि कोई हो, पर दूसरी अपील की

सुनवाई की गई थी।ऐसा होने पर, निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

7. ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, [2000] 1 एस. सी. सी. 434 में इस न्यायालय ने पैरा 10 में इस प्रकार कहा हैः

> "10. अब सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत, 1976 के संशोधन के बाद, उच्च न्यायालय के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न विराचित करना आवश्यक है और ऐसा किए बिना पहले अपीलीय न्यायालय के फैसले को उलटने की अनुमति नहीं है।"

8. फिर भी रूप सिंह बनाम राम सिंह, [2000] 3 एस. सी. सी. 708 में इस न्यायालय ने व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ी अपीलों तक ही सीमित है। उक्त निर्णय के पैरा 7 में कहा गया हैः

> "7. यह दोहराया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय की धारा 100 सी. पी. सी. अधिकारिता के तहत दूसरी अपील पर विचार करना केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और यह उच्च न्यायालय को धारा 100 सी. पी. सी. के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथ्य के केवल मात्र प्रश्नों

में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, मामले के निपटारे के समय उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील के स्वीकारोत्कि के समय ए द्वारा तैयार किए गए कानून के प्रश्न पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि विवादित निर्णय में इसका कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, तथ्य निष्कर्ष अदालतों ने साक्ष्य की सराहना करने के बाद कहा कि प्रतिवादी ने एक बटाई के रूप में परिसर के कब्जे में प्रवेश किया, अर्थात, एक किरायेदार के रूप में और उसका कब्जा अनुमत था और इस बारे में कोई अभिवचन या सबूत नहीं था कि यह कब प्रतिकूल और शत्रुतापूर्ण हो गया।नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए ये निष्कर्ष साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित थे और उन निष्कर्षों में कोई विकृति, अवैधता या अनियमितता नहीं थी। यदि प्रतिवादी को पट्टेदार के रूप में या बताई समझौते के तहत वाद भूमि का कब्जा मिल गया है, तो अनुमेय कब्जे से उसे वास्तविक मालिक के ज्ञान के प्रतिकूल सी शत्रुतापूर्ण शत्रुता और कब्जे को दिखाने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित करना है।लंबे समय तक केवल कब्जे के परिणामस्वरूप अनुमेय कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में

परिवर्तित नहीं किया जाता है ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार, [1994] 6 एस. सी. सी. 591। इसलिए उच्च न्यायालय को दोनों ही निचली अदालतों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।"

9. कन्हैयालाल और ओआरएस. बनाम अनुपकुमार और अन्य, [2003] 1 एस. सी. सी. 430, मथकला कृष्णैया बनाम वी. राजगोपाल, [2004] 10 एस. सी. सी. 676, श्रीमती. राम सखी देवी बनाम छत्र देवी और अन्य, जे. टी. (2005) 6 एससी 167, ससिकुमार और अन्य बनाम।कुन्नथ चेल्लप्पन नायर और अन्य, ई [2005] 12 एस. सी. सी. 588, ज्ञान दास बनाम ग्राम पंचायत सुनर कलान और अन्य, [2006] 6 एस. सी. सी. 271 और शाह मनसुखलाल छगनियाल (डी) एल. आर. एस. बनाम।गोहिल अमरसिंह गोविंदभाई (डी) से एल. आर. एस., (2006) 13 स्केल 99 में इस स्थिति को दोहराया गया है।

10. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन. जे.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।